भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1781

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलावट

1781. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरित खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जागरूक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीडीएस के माध्यम से वितरित खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पीडीएस की दक्षता में सुधार, चोरी को कम करने और लोगों तक अधिकतम खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ स्थानीय क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से पीडीएस के एकीकरण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पीडीएस के डिजिटलीकरण से पीडीएस से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के लिए पारदर्शिता आई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार है।

...2/-

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा पूरे वर्ष विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक रूप से नमूनों को चुना जाता है।

(घ) से (छ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के अंतरराज्यीय आबंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि परिचालन जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

इसके अलावा, प्रौद्योगिकी-संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, पीडीएस की दक्षता में सुधार और लीकेज को कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस को पूरी तरह से डिजिटाइज्ड (100%) कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिए गए हैं। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद हस्तांतरण योजना को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू कर दिया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण स्थापित करके स्वचालित किया गया है।
